न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

13 / 2017
23.03.2021

प्रा.पत्र संख्याः–
निर्णय दिनांकः–

उनवान

1. घासी पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी कचरावता तह0 उनियारा जिला टोंक
2. रामी उर्फ राजी पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी कचरावता तह0 उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. धनपाल पुत्र किशना जाति माली निवासी हम्मीरपुरा तहसी उनियारा जिला टोंक
2. मुकेश पुत्र किशना जाति माली निवासी हम्मीरपुरा तहसी उनियारा जिला टोंक
3. मोती पुत्र किशना जाति माली निवासी हम्मीरपुरा तहसी उनियारा जिला टोंक
4. हरीराम पुत्र मोती जाति माली निवासी हम्मीरपुरा तहसी उनियारा जिला टोंक
5. भंवरलाल पुत्र सुवा जाति माली निवासी हम्मीरपुरा तहसी उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थितः– श्री बाबुलाल जैन वकील प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रके संक्षेप में निम्नप्रकार है–

यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 637 रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक में है। उपरोक्त वर्णित आराजीयत से प्रार्थीगण के खातेदारी से प्रतिपक्षीगण का दूर का भी कोई लेना देना या संबंध नही है। परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोहबंद व बदमाश किश्म के व्यक्ति है तथा जबरन लठ के जोर पर प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है,जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

अतः प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी व काबिज आराजी खसरा नं0 637 रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावें।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

TI. FESLA.11

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण की बाद तामील नोटिस प्राप्त । प्रतिपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नही आये। अतः प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाी अमल मे लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी से प्रतिपक्षीगण का दूर का भी कोई लेना देना या संबंध नही है। परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोहबंद व बदमाश किश्म के व्यक्ति है तथा जबरन लठ के जोर पर प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है,जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में है। प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी व काबिज आराजी खसरा नं0 637 रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता सख्या 31 वाके ग्राम कचरावता आराजी ख0न0 637 रकबा 1.95 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड हैं। वर्तमान मे प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 के अनुसार प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे। पत्रावली फैसलसुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक

TI. FESLA.12